प्र०पत्र 133 [illegible]
[illegible] 2/14

1/4

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत हाकिम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11-12-14	पीठासीन अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्वानुसार दि० 15-1-15 को पेश हो।	
15-1-15	पीठासीन अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वानुसार दि० 19-3-15 को पेश हो।	
19-3-15	पीठासीन अधिकारी महोदय प्रशिक्षण / अवकाश पर है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 08-4-15 को पेश हो।	
8-4-15	पत्रावली प्रस्तुत हुई। उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने अपने जवाब में अंकित किया है कि सफाई व्यवस्था कर दी गई है तथा कूड़े को हटवाया जा चुका है, लेकिन वास्तविक तौर पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है मात्र कागजी कार्यवाही से मौके की स्थिति नहीं बदलती है। अतः नगर पालिका नगर के विरुद्ध आदेश पारित कर कार्यवाही करने की कृपा करें। उक्त प्रार्थना-पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि दिनांक 2-9-14 को प्राथमिक आदेश पारित होने के पश्चात एक बार सफाई अवश्य करा दी गई थी, लेकिन उसके पश्चात कुछ दिन बाद ही यथास्थिति वैसी स्थिति बनी हुई है। वहां पर रखा गया [illegible] था इतना हल्का है जो [illegible] तरफ गंदगी [illegible] का निकलना भी दूभर हो रहा है। अतः प्रार्थना स्वीकार किया जाकर नगर पालिका के विरुद्ध आदेश पारित किया जावे। गैर सायल के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि नगर पालिका नगर के -	8/4/15 08/04/2015 35[illegible] 19/4/15

– लगातार..

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.05 12:14:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सभी वार्डों में नियमित सफाई कराई जाती है, तथा सूअर मालिकों को भी पाबंद कर दिया गया है, कस्बा नगर की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार है कि वहां थोड़ी सी बरसात से ही पानी इकट्ठा हो जाता है, इसके बावजूद भी कस्बा नगर में सफाई एवं पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नगर पालिका द्वारा कराई जा रही है अतः प्रार्थना पत्र गैरकानूनी होने से काबिल खारिज है।	
	उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हम प्रार्थीगण के इस तर्क से सहमत है कि कस्बे में नियमित सफाई का अभाव है तथा आवारा सूअर आज भी स्वच्छंद विचरण करते हैं तथा गंदगी फैलाते हैं अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा गैर सायलान को पाबंद किया जाता है कि कस्बा नगर वार्ड नं 8 में परिवादी नं 1 के आवास के सामने गंदगी का ढेर नहीं लगावें तथा कस्बा नगर में घूम रहे आवारा पशुओं, सूअरों को पकड़वा कर कांजी हाउस में बंद करें तथा उनके मालिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें। आदेश [illegible] की तहरीर व जारी हो। [illegible] मुताबिक होकर दाखिल दफ्तर हो।	
	उपखण्ड मजिस्ट्रेट [illegible] ([illegible])	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.05 12:14:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner